



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
ब्लॉक नं. 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/उ.स.-1/2501

जबलपुर, दिनांक 05.07.2014


आदेश

म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ने ज्ञापन क्रमांक एफ 9-11/2013/नियम/चार दिनांक 24.12.2013 द्वारा निर्णय लिया है कि म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-2009 दिनांक 01.01.2006 से प्रभावशील होने के फलस्वरूप शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मृतक शासकीय सेवक के बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के छः (6) गुना के बराबर, अधिकतम रु. 50,000/- (रु. पचास हजार), की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जावे ।

कंपनी के निर्णयानुसार राज्य शासन के उक्त ज्ञापन को यथा- आवश्यक संशोधन सहित (Mutatis Mutandis) 'शासन' के स्थान पर "मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड" तथा 'शासकीय सेवक' के स्थान पर 'कंपनी सेवक' प्रतिस्थापित करते हुये यथावत ग्राह्य किया जाता है ।

पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. के आदेश क्रं. 01-07/डब्ल्यू.ए.सी./2072 एवं 2074 दिनांक 07.04.2006 में वर्णित "तत्काल राहत अनुग्रह अनुदान राशि" की सीमा तदनुसार संशोधित हो जावेगी। अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,


(ए.के. अवस्थी)

कार्यपालक निदेशक(मा0संसा0 एवं प्रशा0)
म0प्र0पॉ0ज0क0लि0, जबलपुर

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/उ.स.-1/2502

जबलपुर, दिनांक 05.07.2014

प्रतिलिपि -

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल ।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा)/ (संचा.संधा.-जलविद्युत)/ (अभियांत्रिकी)/ (सिविल अभियांत्रिकी)/ (सामग्री प्रबंधन)/ (नवीनी.एवं आधुनिकी.)/ (ईंधन प्रबंधन) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (परि.-उत्पा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
4. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), अताविग /संगांताविगृ/सताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/ बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा ।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि/म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर ।
6. मुख्य अभियंता (कापोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
7. अतिरिक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
8. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर ।
9. अति.मुख्य अभि. (उत्पा.-मंडार)/ (सी.एस.)/ (टीएचसी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/ सिरमौर ।
10. अति.मुख्य अभि. (सिविल) सर्वे. एवं अन्वे. म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
11. संयुक्त सचिव-दो, कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
12. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/ (संचा.संधा.), राअबासा/पेंच/राजघाट/गांधी सागर/ बाण सागर-दो/तीन/चार/मड़ीखेड़ा जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., बरगी नगर/ तोतलाडोह/चंदेरी/गांधी सागर/सिलपरा/देवलौंद/झिन्ना/शिवपुरी ।
13. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस)/ अताविगृ/संगांताविगृ/ सताविगृ/श्रीसिंगाजी ताविपरि./टोंस जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/चचाई/ बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
14. निजसचिव/निज सहायक-संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी)/निदेशक(वाणिज्य) म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर
15. आदेश नस्ती ।

-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(पी.के. चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव-एक
कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म0प्र0पॉ0ज0क0लि0, जबलपुर